Received By Mail

संख्या–1963/V–2/05(आ0)17टी0सी0–3/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, यथा– चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौडी,
टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ, नैनीताल, उधमसिंहनगर।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 23 नवम्बर, 2017

विषय– शमन उपविधि एवं अवस्थापना फण्ड के संचालन हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या–2281/9–आ–1–96–6डी0ए0/01, दिनांक 22 जून, 1998 (संलग्नक–1) (उत्तराखण्ड राज्य मे यथाप्रवृत्त) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण में शमन की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

2– उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या–152/9–आ–1–1998, दिनांक 15 जनवरी, 1998 (संलग्नक–2) (उत्तराखण्ड राज्य मे यथाप्रवृत्त) (समय समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण में अवस्थापना फ़ण्ड के संचालन की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत शमन एवं अवस्थापना फण्ड के संचालन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

1039
23.11.17

Sri Joshi
website
file

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या– 412/V-2-2016–127(आ0)/2013
देहरादून : दिनांक 09 ~~फरवरी~~ मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–152/9–आ0–1–1998, दिनांक 15 जनवरी, 1998 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) द्वारा आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की स्थापना उक्त खाते में विभिन्न स्त्रोतों से अर्जित प्राप्तियों को जमा कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उक्त फण्ड में उपविभाजन शुल्क के रूप में अर्जित प्राप्तियों की व्यवस्था निर्धारित न होने के कारण इस धनराशि का उपयोग अवस्थापना विकास कार्यो हेतु नही हो पा रहा है। अतः मानचित्र स्वीकृति के समय उपविभाजन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत अंश विकास कार्यो हेतु अवस्थापना मद में तथा 50 प्रतिशत प्राधिकरण अंश के रूप में जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– प्रश्नगत धनराशि का व्यय कार्यालय ज्ञाप संख्या–152/9–आ0–1–1998, दिनांक 15 जनवरी 1998 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या–412/V-2-2016–127(आ0)/2013–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, कैम्प कार्यालय–देहरादून/नैनीताल।
(2) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(4) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार।
(5) सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, उत्ताराखण्ड।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
(7) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
संख्या– 851 / V-2-2016–127(आ0) / 2013टी0सी0–1
देहरादून : दिनांक ~~06~~ जून, 2016
07, जुलाई

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–152 / 9–आ0–1–1998, दिनांक 15 जनवरी, 1998 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के द्वारा अवस्थापना मद के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अध्यक्ष / आयुक्त की अध्यक्षता में एक अवस्थापना कमेटी के गठन की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। कमेटी में सदस्य के रूप में जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम व जल निगम के प्रतिनिधि को नामित किये जाने की व्यवस्था भी है। अवस्थापना कमेटी की बैठक आदि की औपचारिकता में समय लगने के कारण कार्यों में काफी विलम्ब हो जाता है। अतः अवस्थापना मद से कराये जाने वाले कार्यो हेतु आयुक्त / अध्यक्ष, गढवाल मण्डल, पौड़ी को अधिकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या– 851 / V-2-2016–127(आ0) / 2013टी0सी–1–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ, कैम्प कार्यालय–देहरादून / नैनीताल।
(2) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून / हरिद्वार / टिहरी।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(4) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून / हरिद्वार।
(5) सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
(7) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

2090.
28/1/98

AHO

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-२
संख्याः 152/९-आ-२-१९९८
लखनऊः दिनांकः जनवरी 15, १९९८

//कार्यालय ज्ञाप//

विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों की कुछ स्रोतों से आय के निर्धारित अंश को इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार श्री राज्यपाल ने सहर्ष निर्देशित किया है कि:-

१. नीचे प्रस्तर-५ में उल्लिखित आय को विकास प्राधिकरण के सामान्य पूल में न डालकर एक अलग बैंक खाते में, जो आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निहित होगा, में जमा की जाय;

२. यह खाता विकास प्राधिकरण के स्तर पर होगा, परन्तु इस खाते की धनराशि से व्यय, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति के अनुमोदन से किया जायेगा जिसके सदस्य जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद व जलनिगम के प्रतिनिधि होंगे।

३. उक्त खाते से किये जाने वाले व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश में निहित रीति से किये जायेंगे।

४. इस खाते से प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ८० प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया जायेगा तथा अधिकतम २० प्रतिशत राजस्व व्यय किया जा सकेगा।

५. इस खाते में निम्नलिखित प्राप्तियाँ जमा की जायेंगी:-

(क) निम्न स्तरीय भू-उपयोग को उच्च स्तरीय भू-उपयोग में परिवर्तन करते समय परिवर्तन शुल्क का ९० प्रतिशत तथा शेष १० प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(ख) विकास प्राधिकरण की योजना के बाहर के शहरी क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृति करने हेतु विकास शुल्क तथा सुदृढीकरण शुल्क का ९० प्रतिशत तथा शेष १० प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(ग) शहर की ऐसी अनाधिकृत कालोनियाँ, जो महायोजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थापित हैं, में विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृति किये जायेंगे। यह धनराशि इस व्यवस्था के अन्तर्गत ली जायेगी कि उस क्षेत्र के न्यूनतम ८० प्रतिशत भू-भाग द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिये जाने पर ही उस क्षेत्र विशेष का विकास कार्य किया जायेगा। ऐसे किये जाने वाले विकास कार्य का स्तर भी स्पष्ट किया जायेगा-प्राप्त विकास शुल्क का ९० प्रतिशत अंश तथा शेष १० प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

A.D.O

(घ) अनाधिसूचित निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमन शुल्क का ५० प्रतिशत अंश तथा शेष ५० प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(च) विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सम्पत्तियों को फ्री होल्ड किये जाने से प्राप्त होने वाली आय का ९० प्रतिशत अंश तथा शेष १० प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

(छ) विकास प्राधिकरणों द्वारा बेचे जा रहे भूखण्डों के मूल्य पर १० प्रतिशत अधिभार लगाये रूप प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का शत-प्रतिशत अंश।

(ज) विक्रय विलेख के निबन्धन से प्राप्त आय का ९० प्रतिशत अंश तथा शेष १० प्रतिशत विकास प्राधिकरण अंश।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्याः 157(1)/९-आ-२-१९९८ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
२. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
३. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
४. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
५. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
६. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ।
७. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
८. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव